न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 31/2025

बलविन्द्रसिंह पुत्र स्व. बग्गासिंह आयु 54 वर्ष जाति जटसिख निवासी गणेशगढ तहसील एवं जिला श्रीगंगागनर (राज.)

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

श्री रणजीत सारडीवाल अधिवक्ता — प्रार्थी
पैरोकार राज — अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: आदेश ::–

दिनांक :–28.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 28 एलएनपी फस्ट तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.) के खाता सं.49/45पं.न.0 के मु.नं. 33की 0.5060 है. नहरी मय खाला,मु.नं. 34की 2.0240 है. नहरी कुल रकबा 2.5300 है नहरी मय खाला भूमि का हिस्सा 116/1265 दर्ज जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 है तथा खाता सं. 46/36 पं.न.0 के मु.नं. 33 का रकबा 3.7950 है. नहरी मय खाला बारानी भूमि का हिस्सा 211/1265दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी चक28 एलएनपी फस्ट के खाता सं. 45/37पं.न.0 के मु.नं. 33की कुल 2.0240 है. नहरी मय खाला, बारानी भूमि तथा मु. नं. 35की 1.0630 है. बारानी अर्थात कुल 3.0870 है. नहरी मय खाला बारानी भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 772/3087दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैरा संख्या 1व2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का घरेलू नाम जसविन्द्रसिंह दर्ज हो चुका है जबकि प्रार्थी का सही नाम बलविन्द्रसिंह है तथा बलविन्द्रसिंह नाम से ही प्रार्थी के समस्त पहचान सम्बन्धित दस्तावेज है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज घरेलू नाम को दुरूस्त करवाकर सही नाम बलविन्द्रसिंह करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी को अनावश्यक कानूनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रार्थी के नाम से जारी वोट पहचान पत्र तथा आधारकार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेस एवं जनआधार में बलविन्द्रसिंह नाम ही अंकन है, तथा उक्त वर्णित जसांवेन्द्रसिंह एवं बलविन्द्रसिंह दोनो नाम एक ही सदस्य के है तथा किसी अन्य सदस्य के नान नहीं है नकल वोट पहचान पत्र तथा आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेस, जनआधार एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य वास्ते अवलोकनार्थ संलग्न प्रार्थनापत्र है। अप्रार्थी सं0–1 लैण्ड होल्डर है इसलिये पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बनाया गया है। यहकि प्रार्थना पत्र अदालतबाला के क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम–1956के अन्तर्गत मय हलफनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पैरा सं. 1 में दर्ज कृषि भूमि वाके चक 28 एलएनपी फस्ट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं.49/45,46/36एवं खाता सं. 45/37 में दर्ज प्रार्थी का नाम जसविन्द्रसिंह को दुरुस्त किया जाकर बलविन्द्रसिंह करने का आदर्श प्रदान करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त विषयक के आराजी चक 28 एलएनपी प्रथम सम्बन्ध में पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका के खाता संख्या 49 कुल रकबा 2.530 हैक. हिस्सा 211/1265 व खाता संख्या 46 रकबा 3.795 हैक. व खाता संख्या 45 रकबा 3.087 हैक्टर हिस्सा 772/3087 हिस्सा जसविन्द्र पुत्र बग्गासिंह जटसिख के नाम साझखातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा जसविन्द्रसिंह पुत्र बग्गासिंह को जरिये विरासत नामा० संख्या 212, 213, 214 से प्राप्त हुआ है। नामान्तरण पर चस्पा वारिसनामा व नामान्तरण में भी प्रार्थी का नाम जसविन्द्रसिंह अंकित है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मौतबिरानों से पूछताछ करने पर प्रार्थी को दोनो नामों (जसविन्द्रसिंह व बलविन्द्रसिंह) से ही पुकारा जाता है तथा दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जनआधार आधार कार्ड पहचान पत्र, पेन कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस में प्रार्थी का नाम बलविन्द्रसिंह पुत्र बग्गासिंह अंकित है। दस्तावेज की प्रति संलग्न है। ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण पत्र में प्रार्थी को दोनो नाम जसविन्द्रसिंह व बलविन्द्रसिंह बताया गया तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना प्रमाणित किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. बग्गा सिंह के आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, मनप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह के जनआधार कार्ड की फोटो प्रति, पेन कार्ड बलविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री बग्गा सिंह की फोटो प्रति, चुनाव पहचान पत्र प्रार्थी बलविन्द्र सिंह की फोटो प्रतियां पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रशासक, ग्राम पंचायत, गणेशगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 28.03.2025 जिसमें बलविन्द्र सिंह व जसिविन्द्र सिंह दोनो एक ही व्यक्ति होने की ताईद की गई है पेश की गई। प्रार्थी बलविन्द्र सिंह द्वारा स्वयं का हलफनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा जसविन्द्र सिंह व बलविन्द्र सिंह दोनों एक ही व्यक्ति होने का अभिकथन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रशासक, ग्राम पंचायत, गणेशगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28.03.2025 एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 28 एलएनपी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 49/45, 46/36 एवं खाता सं. 45/37 में दर्ज प्रार्थी का नाम जसविन्द्रसिंह पुत्र बग्गा सिंह को दुरुस्त किया जाकर बलविन्द्रसिंह उर्फ जसविन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बलविन्द्र सिंह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 31/2025

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner